


22-4-21

पन्नावली पेश हुई वकील पार्थ उपस्थित
पार्थना-पत्र से सम्बन्धित मूल वरद का
निस्तारण हो जाने से पार्थना-पत्र का
कोई औचित्य नहीं रह जाता है. अतः
पार्थना-पत्र रद्द किया जाता है.
पन्नावली फैसल बुझार होकर दायित्व
दफ्तर हो


अपेक्षित अधिकारी
गांधी (बम्बी)

